ग्रामवार शिविर लगाकर राजस्व मामलों का निराकरण सुनिश्चित करें : कलेक्टर

अनूपपुर, देशबन्धु। राजस्व सेवाओं के प्रदान करने के लिए ग्रामवार शिविर आयोजित कर राजस्व मामलों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। राजस्व न्यायालय में चल रहे राजस्व प्रकरणों का पटवारी हल्कावार रजिस्टर संधारण किया जाए। ग्रामों में आयोजित राजस्व प्रकरण निराकरण शिविरों के क्रियान्वयन के लिए रोस्टरवार कार्ययोजना तैयार की जाए तथा नामांतरण, बंटवारे के शिविर में निराकृत प्रकरणों की सत्यप्रतिलिपि हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जाए। उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर हर्षल पंचोली ने कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए दिए।

बैठक में संयुक्त कलेक्टर दिलीप पांडेय, एसडीएम अनूपपुर दीपशिखा भगत, एसडीएम जैतहरी अंजली द्विवेदी, एसडीएम कोतमा अजीत तिर्की, एसडीएम पुष्पराजगढ़ सुधाकर सिंह बघेल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख तथा सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख आदि उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को प्रकरणों के निराकरण के लिए ग्राम स्तर पर राजस्व शिविर आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि 1 जनवरी 2020 के बाद के सभी दर्ज न्यायालयीन प्रकरण की पंजी संधारित कर प्रकरणों की सुनवाई की जाए। उन्होंने अर्थदंड के बकायादारों से राजस्व वसूली के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण की

लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर दिए दिशा निर्देश

कार्यवाही नियमित आधार पर सुनिश्चित की जाए। राजस्व वसूली, आरसीएमएस पोर्टल में लंबित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं न्यायालय में लंबित प्रकरणों की समीक्षा, सायबर तहसील की समीक्षा, पीएम किसान हितग्राहियों का ई-केवाईसी, आधार बैंक खाता लिंकिंग एवं लैण्ड लिंकिंग कार्य, डिजिटल क्राप सर्वे, कृषक पंजीयन, ई-उपार्जन पंजीयन, खसरे में दर्ज बंटन व्यवस्थापन कार्य की समीक्षा कर आवश्यक दिशानिर्देश दिए। कलेक्टर ने उप तहसील अमरकंटक का क्रियान्वयन तत्काल प्रभाव से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित राजस्व निरीक्षक, पटवारी उप तहसील में नियमित रूप से बैठें। नायब तहसीलदार न्यायालय के संचालन के लिए सप्ताह में एक दिवस निर्धारित कर प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें।

बैठक में कलेक्टर ने राजस्व न्यायालय, उप तहसील बिजुरी में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए नायब तहसीलदार को प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक पखवाड़े में प्रगति परिलक्षित होनी चाहिए। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को सहकारी समितियों द्वारा किसान पंजीयन हेतु गिरदावली से संबंधित समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने सोसाइटी मैनेजर तथा राजस्व अधिकारी आपस में बात कर किसानों के पंजीयन की समस्या का निराकरण करें। किसी भी किसान को परेशान न होना पड़े। बैठक में जिले के विकास से संबंधित अधोसंरचना के कार्यों में भूमि संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए।

रात्रि काम्बिंग गश्त में लंबे समय से फरार 13 वारंटी गिरफ्तार

अनूपपुर, देशबन्धु। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान के निर्देश पर गुरूवार-शुक्रवार की रात्रि थाना कोतवाली एवं थाना रामनगर क्षेत्र में तलाशी गश्त के दौरान लंबे समय से फरार अनूपपुर में 7 एवं थाना रामनगर में 6 वारंटी को गिरफ्तार किया है।

कोतवाली निरीक्षक अरविंद जैन ने बताया कि कोतवाली पुलिस टीम में सहायक उपनिरीक्षक आशीष सिहं, सतानंद कोल, आरक्षक गुपाल यादव, गिरीश चौहान, संजय सिंह द्वारा लंबे समय से फरार 7 वारंटी को रात्रि में दबिश देकर गिरफ्तार किया है। जिसमें 35 वर्षीय भूषण सिहं पुत्र लाला सिहं गोड़ निवासी ग्राम खांड़ा, 23 वर्षीय लाला कोल पिता शंकर कोल निवासी ग्राम सकरिया, उम्र 48 वर्षीय मूलचन्द केवट पुत्र भीमसेन केवट निवासी ग्राम छुलकारी, 23 वर्षीय राजू उर्फ डब्बू केवट पुत्र राजेश केवट निवासी ग्राम छुलकारी, 45 वर्षीय राजेश केवट पुत्र रामभुवन केवट निवासी ग्राम छुलकारी, 23 वर्षीय श्याम उर्फ सेम प्रसाद चौधरी पुत्र गोरेलाल चौधरी निवासी जल्दाटोला बिजौड़ी, 32 वर्षीय छेदीलाल कोल पुत्र छत्रपति कोल निवासी ग्राम बरबसपुर के विरूद्ध विभिन्न आपराधिक प्रकरणो में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर चैनवती ताराम की न्यायालय द्वारा आरोपियो के न्यायालय में साक्ष्य पेशी पर लंबे समय से उपस्थित न होने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किये गया था।

रामनगर में 6 वारंटी, न्यायालय में किया प्रस्तुत

थाना रामनगर में कांबिग गस्त के दौरान गिरफ्तारी वारंटियों की तलाश करने उपनिरीक्षक एसएल मरावी के नेतृत्व में उपनिरीक्षक बाबूलाल परस्ते, सउनि उमेश तिवारी, सउनि धर्मेन्द्र महोबिया, विनोद नाहर, अशोक सिहं, प्रआर. सनत द्विवेदी, प्रधान आरक्षक निरंजन खलखो, बसंत कोल, आरक्षक अनुराग भार्गव, अंशू कुमार, मनोज उपाध्याय, मदन पाटिल, अनुराग सिंह, विनोद मरावी द्वारा वर्ष 2020 से मारपीट, गाली गलौज के फरार आरोपी वारंटी 71 वर्षीय प्रेमलाल केशवरे पुत्र धनीलाल केशवरे निवासी सिविल दफाई राजनगर, 21 वर्षीय हीराचंद केवट उर्फ गोल्डन पुत्र बबलू केवट निवासी कच्ची दफाई झीमर, 40 वर्षीय रामप्रसाद उर्फ हवेली पुत्र अजुर्न कोल निवासी विशेषर दफाई राजनगर, रामभजन लोनी पुत्र रामलाल लोनी निवासी दर्री टोला मलगा, सूरजकोल उर्फ पचौनी पुत्र सुखलाल कोल निवासी वार्ड क्रमांक 1 विशेषर दफाई राजनगर एवं चोरी के फरार आरोपी रूपेश कुमार केवट पुत्र अशोक केवट आमाडांड को गिरफ्तार कर कोतमा न्यायालय में पेश किया।

पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने जनता से अपील की है कि जिले में चल रही किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मंसूरी के मोबाइल नंबर 7049143426, 7000607075 पर दें।

सार-समाचार

केन नदी के पुल से छलांग लगाने वाले राम कृपाल का दस दिन बाद शव बरामद

पन्ना, देशबन्धु। विगत 16 सितम्बर को मड़ला स्थित केन नदी पुल से एक व्यक्ति द्वारा नदी में छलांग लगा दी गई थी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगो द्वारा पुलिस को दी गई थी। पुलिस नें उक्त सूचना के आधार पर जिला प्रशासन को सूचित किया गया था। जिसका पश्चात् एसडीआरएफ की टीम द्वारा नदी में लगातार दो तीन दिन शव को ढूड़ा गया था। लेकिन उक्त शव नही मिला था, पुलिस नें परिजनों की जानकारी पर गुम इंसान का मामला भी कायम किया था। लगभग दस दिन बाद म्रतक का शव बरियारपुर बांध के पास कुरई ग्राम से बरामद किया गया है। जिसकी पहचान उसके कपड़ो से परिजनो द्वारा की गई है। उक्त म्रतक की पहचान राम कृपाल पिता बारेलाल अहिरवार उम्र 34 वर्ष निवासी नहरी थाना नरैनी जिला बांदा के रूप में की गई है।

सिंहपुर अजयगढ़ घाटी में पिकअप ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, पांच घायल

पन्ना, देशबन्धु। जिले के अजयगढ़ थाना अन्तर्गत सिंहपुर घाटी में एक तेज रफ्तार पिकअप द्वारा सवारीयों से भरे ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जिसमें पांच लोग घायल हुए है। ई रिक्शा चालक मनोज पाल निवासी पिस्टा द्वारा बताया गया कि सवारियां लेकर मै जा रहा था, उसी दौरान खंडिया हनुमान जी मंदिर के पास अज्ञात पिकअप द्वारा टक्कर मार दी गई। जिससे ई रिक्शा खाई मे गिर गया। उक्त दुर्घटना में पांच लोग घायल हुए है, जिनमें तरूण घोषी, सिया दुलारी, मोनू पाल, सचिन पाल, सुमित अहिरवार आदि। घायलो का ईलाज स्वास्थ केन्द्र अजयगढ मे चल रहा है।

अमाडाड़ खदान व नीलकंठ कंपनी से प्रभावितों की समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

कोतमा, देशबन्धु। विधानसभा कोतमा क्षेत्र अंतर्गत आमाड़ाड खुली खदान व नीलकंठ कंपनी से प्रभावित भूस्वामी, किसान, कार्यरत मजदूर एवं बेरोजगार युवाओं की समस्या को लेकर 27 सितम्बर शुक्रवार को युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुड्डू चौहान के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने आमाडांड के सब एरिया मैनेजर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अमाडांड खुली खदान परियोजना एवं नीलकंठ कंपनी से प्रभावित किसान, भूस्वामी, कार्यरत कर्मचारी तथा बेरोजगार युवा एक जगह एकत्रित हुए और अधिकार न्याय यात्रा पैदल मार्च निकालकर आमाडांड सब एरिया कार्यालय पहुंच कर किसानों, भू स्वामियों, कार्यरत कर्मचारियों, बेरोजगार युवाओं की मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया।

जिला स्तरीय शैक्षिक संवाद अभिमुखीकरण आयोजित

अनूपपुर, देशबन्धु। डाइट कार्यालय अनूपपुर में शैक्षिक संवाद के महत्व को रेखांकित करने हेतु जिला स्तरीय शैक्षिक संवाद अभिमुखीकरण का आयोजन किया गया। इस अभिमुखीकरण का उद्देश्य सभी सीएसीएस और सह-सुविधाकर्ताओं को यह बताना था कि क्लस्टर स्तर पर शैक्षिक संवाद का आयोजन कैसे किया जाए। शैक्षिक संवाद, मध्य प्रदेश के राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसमें हर महीने शिक्षक क्लस्टर स्तर पर एकत्रित होकर कक्षा स्तर पर आने वाली शैक्षिक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे और उनके सामूहिक समाधान खोजने का प्रयास करेंगे।इस अभिमुखीकरण में एपीसी अकादमिक संतोष तिवारी, निपुण प्रोफेशनल आदित्य तिवारी और बीएसी विष्णु कांत शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

तीसरी लाइन परियोजना 30 सितम्बर से 11 अक्टूबर तक बंद होगी 14 जोड़ी ट्रेनें

बिरसिंहपुर पाली स्टेशन को तीसरी रेल लाइन से जोड़ने का होगा कार्य

अनूपपुर, देशबन्धु। अनूपपुर से गुजरने वाली 13 जोड़ी ट्रेने 30 सितंबर से 11 अक्टूबर 12 दिनों के लिए परिचालन पूर्णत: बंद होगा। इसमें नर्मदा एक्सप्रेस, अम्बिकापुर-जबलपुर ट्रेने शामिल हैं। वहीं एक जोड़ी ट्रेन का परिवर्तित मार्ग से चलेगी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अधोसंरचना विकास हेतु अनेक परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। बिलासपुर-कटनी रेल लाइन महत्वपूर्ण तथा व्यस्त रेल मार्ग है, जो इस पूरे क्षेत्र को उत्तर भारत से जोड़ती है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में रेल परिचालन को और भी सुचारू तथा नई गाड़ियों के मार्ग प्रशस्त करने के लिए नई लाइनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे आधारभूत संरचना में विकास के साथ नई यात्री सुविधाओं में वृद्धि के साथ यात्री ट्रेनों की समय बद्धता में भी वृद्धि होगी। इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करते हुए बिलासपुर से कटनी के बीच तीसरी लाइन का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बीरसिंहपुर पाली रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए यार्ड रिमोडलिंग का कार्य 3 से 11 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस कार्य के पूर्ण होते ही गाड़ियों की समयबद्धता एवं गति में तेजी आयेगी। जिसके फलस्वरूप अनूपपुर से होकर चलने वाली 28 यात्री गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेंगा।

रद्द होने वाली गाडियां - 30 सितंबर से 11 अक्टूबर तक 18234 बिलासपुर-इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस, 1 से 12 अक्टूबर 18233 इंदौर-बिलासपुर नर्मदा, 30 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक गाड़ी संख्या 18236 बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस, 2 से 12 अक्टूबर तक गाडी संख्या 18235 भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 11 अक्टूबर तक जबलपुर से चलने वाली 11265 जबलपुर-अम्बिकापुर एक्सप्रेस, 3 से 12 अक्टूबर तक अंबिकापुर से चलने वाली 11266 अम्बिकापुर-जबलपुर एक्सप्रेस, 1 से 9 अक्टूबर तक बिलासपुर से चलने वाली 18247 बिलासपुर-रीवा एक्सप्रेस रद्द, 2 से 10 अक्टूबर तक रीवा से चलने वाली 18248 रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस, 4, 7, 9 एवं 11 अक्टूबर को रीवा से चलने वाली 11751 रीवा-चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल, 5, 8, 10 एवं 12 अक्टूबर को चिरमिरी से चलने वाली 11752 चिरमिरी-रीवा पैसेंजर स्पेशल रद्द, 3, 7 एवं 10 अक्टूबर को लखनऊ से चलने वाली 12535 लखनऊ-रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस, 4, 8 एवं 11 अक्टूबर को रायपुर से चलने वाली 12536 रायपुर-लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस, 4, 8 एवं 11 अक्टूबर को दुर्ग से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22867 दुर्ग-नियामुद्दीन एक्सप्रेस रद्द, 5, 9 एवं 12 अक्टूबर को नियामुद्दीन से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22868 नियामुद्दीन -दुर्ग एक्सप्रेस, 6 एवं 8 अक्टूबर को दुर्ग से चलने वाली 18203 दुर्ग-कानपुर एक्सप्रेस, 7 एवं 9 अक्टूबर को कानपुर से चलने वाली 18204 कानपुर-दुर्ग एक्सप्रेस, 6 अक्टूबर को दुर्ग से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18213 दुर्ग-अजमेर एक्सप्रेस, 7 अक्टूबर को अजमेर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18214 अजमेर-दुर्ग एक्सप्रेस, 3 एवं 10 अक्टूबर को दुर्ग से चलने वाली 18205 दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस, 5 एवं 12 अक्टूबर को नौतनवा से चलने वाली 18206 नौतनवा-दुर्ग एक्सप्रेस, 3 से 11 अक्टूबर तक चिरमिरी से चलने वाली 08269 चिरमिरी-चंदिया रोड पैसेंजर स्पेशल, 3 से 11 अक्टूबर तक चंदिया रोड से चलने वाली 08270 चंदिया रोड-चिरमिरी- पैसेंजर स्पेशल, 5, 8, 10 एवं 12 अक्टूबर को चिरमिरी से चलने वाली 05755 चिरमिरी-अनुपपुर पैसेंजर स्पेशल, 5, 8, 10 एवं 12 अक्टूबर को अनूनपुर से चलने वाली 05756 अनूपपुर- चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल, 2 से 11 अक्टूबर तक कटनी से चलने वाली 06617 कटनी-चिरमिरी मेमू स्पेशल, 3 से 12 अक्टूबर तक चिरमिरी से चलने वाली 06618 चिरमिरी-कटनी मेमू स्पेशल रद्द रहेगी ।

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली गाड़ी - 2 से 10 अक्टूबर तक बरौनी से चलने वाली 15231-15232 बरौनी-गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग बरौनी-कटनी-जबलपुर- नैनपुर-बालघाट-गोंदिया होकर चलेगी।

साइबर सुरक्षा व स्वच्छता की छात्राओं को दी जानकारी

अनूपपुर, देशबन्धु। भारत शासन एवं म.प्र. शासन की संयुक्त तत्वाधान में कलेक्टर अनूपपुर हर्षल पंचोली, एसपी मोतीउर रहमान एवं जिपं. सीईओ तन्मय वशिष्ठ शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रभारी जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी इसरार मन्सूरी के मार्गदर्शन में 27 सितम्बर को आईटीआई कॉलेज जैतहरी में साइबर सुरक्षा कार्यक्रम कराया गया। कार्यक्रम के आयोजन दिनेश कुमार सिंह चंदेल विकासखंड समन्वयक विकासखंड जैतहरी खेल एवं युवा कल्याण विभाग ग्रामीण युवा केंद्र जैतहरी स्टेट रेफरी नेशनल ट्रेनर द्वारा कराया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि थाना जैतहरी के उपनिरीक्षक विपुल शुक्ला एवं सरिता लकड़ा एवं आरक्षक मनीष सिंह तोमर, आईटीआई जैतहरी प्राचार्य उमा पनिका एवं ट्रेनिंग ऑफिसर दुर्गेश राठौर एवं विश्वकर्मा सहित आईटीआई के सभी ट्रेनिंग ऑफिसर एवं स्टाफ उपस्थित रहे। उपनिरीक्षक विपुल शुक्ला ने छात्राओं को साइबर क्राइम से बचने के लिए कई उपाय बताएं एवं साइबर सुरक्षा में 1930 नंबर पर तत्काल कॉल करे। इसके साथ ही स्वच्छता पखवाड़ा के तहत खुद को स्वच्छ रखने के साथ अपने मोहल्ले को, ग्राम एवं नगर को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करते हुए स्वच्छता की शपथ दिलाई गई।

ग्राम परसवार में ग्राम न्यायालय की बैठक के दौरान पंचायत आपके द्वार शिविर का आयोजन

अनूपपुर, देशबन्धु। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनूपपुर पी.सी. गुप्ता के निर्देश अनुसार 27 सितम्बर को ग्राम पंचायत भवन परसवार में पंचायत आपके द्वार पहल अंतर्गत ग्राम न्यायालय की बैठक के दौरान विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम न्यायालय की न्यायाधिकारी पारूल जैन, संतदास नापित चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं शाबिर अली डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कांउसिल उपस्थित रहे। शिविर में ग्राम न्यायाधिकारी पारूल जैन ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां दी। साथ ही शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया।

बीहरपुरवा में जीपीडीपी समीक्षा बैठक संपन्न

पन्ना, देशबन्धु। ग्राम पंचायत बीहरपुरवा में सरपंच सरोज पटेल की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियो के साथ बैठक कर तीन वर्ष के प्लान की समीक्षा की एवं आगामी 2025 -26 की कार्ययोजना निमार्ण पर चर्चा की गई। गांव को साफ सुथरा रखना हम सब का धर्म है। हमारे आचरण में स्वच्छता सफाई होना चाहिये। हम अपने घर को साफ रखते है लेकिन घर का कचरा आस पास फेंक देते है, जिससे गंदगी फैलती है, हम सभी का दायित्व है कि घर तथा आस पास का वातावरण भी साफ सवच्छ रखना चाहीए। क्योकि गंदगी से विभिन्न प्रकार की बीमारीयां फैलती है, स्वच्छता से ही समृद्धि आती है इस लिए सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना चाहीए। शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत, नगर पालिकाओं मे स्वच्छता अभीयान कार्यक्रम चलाया है। सरपंच ने कहा की समर्थन संस्था के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में जीपीडीपी समीक्षा एवं स्व्च्छता ही सेवा अभियान चलाकर शुशासन की पहल की जा रही हे जो सराहनीय है। पंचो ने कहा की इस वार हम पेय जल एवं स्वच्छता पर आधारित प्लान तैयार करेगे।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंड़िया
Central Bank of India

चल संपत्तियों का विक्रय नोटिसः ई-नीलामी दिनांक- 28/10/2024
क्षेत्रीय कार्यालय- बुढ़ार रोड, शहडोल, मध्य प्रदेश

दृष्टिबंधक अधिनियम के अधीन चल आस्तियों / वाहन के विक्रय हेतु ई- नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है" एवं "दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई- नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	संबंधित शाखा	ऋण खाता/ऋणी/प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	दृष्टिबंधक चल संपत्तियों का विवरण / कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / अग्रिम धरोहर जमा राशि / बिड वृद्धि राशि
1	सामतपुर मोब.नं.- 82260 12870	1. श्री दुर्गा कोल पिता राधिका कोल पताः वार्ड क्र. 08, धनगवां, अनूपपुर (म.प्र.)- 484224 ऋण खातों का विवरण- 1. खाता क्र.- 3606697014 2. खाता क्र.- 3808668243	रू. 11,04,965/- + ब्याज + विधिक व्यय	दृष्टिबंधक चल संपत्ति विवरण- EICHER 333 2wd Tractor 1. वाहन पंजीकरण क्र.- MP65AA1885 2. मॉडल क्र. एवं निर्माण का वर्ष- Eicher 333 2wd Tractor वर्ष- 2016 3. इंजन क्र.- E300585 4. चेसिस क्र.- 925114104198 भौतिक कब्जा	रू. 80,000/- रू. 8,000/- रू. 5,000/-
2	सामतपुर मोब.नं.- 82260 12870	1. श्री राम खिलावन पिता सुख सेन सिंह पताः वार्ड क्र. 01, ग्राम पोस्ट मलगा टंकी अनूपपुर (म.प्र.)- 484224 ऋण खातों का विवरण- 1. खाता क्र.- 3567474974 2. खाता क्र.- 3882403174	रू. 11,06,523/- + ब्याज + विधिक व्यय	दृष्टिबंधक चल संपत्ति विवरण- EICHER 333 2wd Tractor 1. वाहन पंजीकरण क्र.- MP65AA1621 2. मॉडल क्र. एवं निर्माण का वर्ष- Eicher 333 2wd Tractor वर्ष- 2016 3. इंजन क्र.- E34332 4. चेसिस क्र.- 924714187063 भौतिक कब्जा	रू. 2,00,000/- रू. 20,000/- रू. 5,000/-
3	सामतपुर मोब.नं.- 82260 12870	1. श्री जगत सिंह धुर्वे पिता श्री जय सिंह धुर्वे पताः ग्राम बाघनीभँवर पोस्ट बिलासपुर, तहसील पुष्पराजगढ़, अनूपपुर (म.प्र.)- 484881 ऋण खातों का विवरण- 1. खाता क्र.- 3872978666	रू. 11,10,538/- + ब्याज + विधिक व्यय	दृष्टिबंधक चल संपत्ति विवरण- ACE Tractor 550 Di Ng Tractor 1. वाहन पंजीकरण क्र.- MP65AA3999 2. मॉडल क्र. एवं निर्माण का वर्ष- ACE 550 Di Tractor वर्ष- 2020 3. इंजन क्र.- TRBK0010935 4. चेसिस क्र.- RBK550038255 भौतिक कब्जा	रू. 3,80,000/- रू. 38,000/- रू. 5,000/-
4	सामतपुर मोब.नं.- 82260 12870	1. श्री गजेन्द्र सिंह पिता छमू सिंह पताः ग्राम निदावन पोस्ट जमुडी अनूपपुर (म.प्र.)- 484224 ऋण खातों का विवरण- 1. खाता क्र.- 3550584452	रू. 8,77,775/- + ब्याज + विधिक व्यय	दृष्टिबंधक चल संपत्ति विवरण- EICHER 333 2wd Tractor 1. वाहन पंजीकरण क्र.- MP65AA1801 2. मॉडल क्र. एवं निर्माण का वर्ष- Eicher 333 2wd Tractor वर्ष- 2016 3. इंजन क्र.- E27558 4. चेसिस क्र.- 924414173709 भौतिक कब्जा	रू. 1,50,000/- रू. 15,000/- रू. 5,000/-
5	सामतपुर मोब.नं.- 82260 12870	1. श्री श्रीकांत मार्को पिता श्री एस.के. मार्को पताः वार्ड क्र. 13, अमरकंटक तिराहा, अनूपपुर (म.प्र.)- 484224 ऋण खातों का विवरण- 1. खाता क्र.- 3574544026 2. खाता क्र.- 3820809518	रू. 12,09,880/- + ब्याज + विधिक व्यय	दृष्टिबंधक चल संपत्ति विवरण- TATA Motors LTD BUS 1. वाहन पंजीकरण क्र.- MP65P0183 2. मॉडल क्र. एवं निर्माण का वर्ष- TATA LP 712 EX, वर्ष- 2016 3. इंजन क्र.- 497TC92FTY822353 4. चेसिस क्र.- MAT453564G7F10008 भौतिक कब्जा	रू. 4,00,000/- रू. 40,000/- रू. 10,000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गये प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता PSB Alliance के वेबपोर्टल http://ebkray.in पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 91-8291220220, क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (ई मेल- recvshahro@centralbank.co.in) या प्राधिकृत अधिकारी श्री रामा कान्त मिश्रा (मोब.: 91-9693096247) से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते हैं। शीर्षक दस्तावेजों/ दूसरे दस्तावेजों/ संपति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबन्धित शाखा- सामतपुर (मो. 91-82260 12870) से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता सम्पति का निरीक्षण संबन्धित शाखा से संपर्क कर दिनांक 09/10/2024 से 11/10/2024 को कर सकते हैं। उपरोक्त सभी से संबन्धित ऋणियों / प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को दृष्टिबंधक अधिनियम के तहत अधीन (30) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है। वाहन पर किसी भी प्रकार के देय/ बकाया कर (टैक्स) एवं अन्य देयताओं को वाहन क्रेता को अलग से चुकाना होगा। वाहन पर लगने वाले किसी भी प्रकार के कर (टैक्स) या अन्य देयताओं को चुकाने के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं रहेगा।

दिनांकः 28/09/2024, स्थानः शहडोल (म.प्र.)

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

दैनिक राशिफल

शनिवार 28 सितम्बर 2024 का पंचांग विक्रम संवत् 2081, शक संवत 1946 हिजरी 1445। अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी नक्षत्र-अश्लेषा ।

मेष
आज आपका दिन मिश्रित फलदायी है। आपको आज नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी। कोई नया काम भी शुरू कर पाएंगे।

वृषभ
हाथ में आया हुआ अवसर कन्फ्यूजन के कारण आज आप गंवा सकते हैं और उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। आज बहुत से विचार आपको परेशान करेंगे।

मिथुन
आज के दिन की शुरुआत में मन प्रफुल्लित और चित्त स्वस्थ होगा। आज मित्र या परिवार के सदस्यों के साथ भोजन का आनंद उठा सकते हैं। क.-358

कर्क
आज आप मानसिक अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। किसी एक निश्चय पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। असमंजस के कारण मानसिक कष्ट होगा।

सिंह
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर भी दुविधापूर्ण मानसिकता के कारण सामने आया हुआ अवसर गंवा देंगे। आपका मन कहीं खोया रहेगा।

कन्या
आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी हैं। नए काम का आयोजन सफल होगा। व्यापार करने वालों तथा नौकरीपेशा लोगों के लिए लाभ का दिन है।

तुला
आज आप बौद्धिक तथा लेखन के कामों में सक्रिय रहेंगे। नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है।

वृश्चिक
आज का दिन सावधानी से बिताने की सलाह आपको दी जाती है। नए काम का आरंभ न करें एवं क्रोध पर संयम रखें।

धनु
आज आपका दिन सुखपूर्वक एवं आनंद से गुजरने वाला है। आज आप मनोरंजक दुनिया में व्यस्त रहने वाले हैं। पार्टी, पिकनिक, यात्रा, स्वादिष्ट भोजन और शॉपिंग आज के दिन का हिस्सा रहेंगे।

मकर
व्यापार- धंधे के विकास और आर्थिक आयोजन के लिए आज अनुकूल दिन है। वसूली या पैसे की लेन-देन में सफलता मिलेगी। आयात-निर्यात में लाभ होगा।

कुंभ
मानसिक अशांति और उद्वेग भरा दिन है। तेजी से बदलते विचारों के कारण अनिर्णायकता रहेगी, इसलिए ठोस निर्णय नहीं ले सकेंगे।

मीन
आपको आज के दिन सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद पैदा होगा।

मा.350-120

2,4,6,7,26,47,61,70,45,11,92,02

एक नजर में

लंबे समय से फरार सात वारंटी दबोचे

अनूपपुर : कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने काम्बिंग गश्त चलाकर विभिन्न अपराधों में शामिल और फरार चल रहे 7 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार इस दौरान कोतवाली पुलिस द्वारा वारंटी भूषण पिता लाला सिंह 35 साल निवासी ग्राम खांड़ा, लाला पिता शंकर कोल 23 साल निवासी ग्राम सकरिया,मूलचन्द पिता भीमसेन केवट 48 साल निवासी ग्राम छुलकारी,राजू उर्फ डब्बू पिता राजेश केवट 23 साल निवासी ग्राम छुलकारी, राजेश पिता रामभुवन केवट 45 साल निवासी ग्राम छुलकारी, श्याम उर्फ सेम प्रसाद पिता गोरेलाल चौधरी 23 साल निवासी जल्दाटोला बिजौड़ी, छेदीलाल पिता छत्रपति कोल 32 साल निवासी ग्राम बरबसपुर वारंटी हैं को पकड़ा गया। -नप्र

कांबिंग गश्त के दौरान छह वारंटी गिरफ्तार

राजनगर। पुलिस ने मारपीट,गाली गलौज के फरार आरोपित वारंटी प्रेमलाल केशवरे पिता धनीलाल केशवरे 71 वर्ष निवासी सिविल दफाई राजनगर,हीराचंद उर्फ गोल्डन पिता बबलू केवट 21 वर्ष निवासी कच्ची दफाई झीमर,रामप्रसाद उर्फ हवेली पिता अर्जुन कोल 40 वर्ष निवासी विशेषर दफाई, रामभजन पिता रामलाल लोनी निवासी दर्री टोला मलगा,सूरज उर्फ पचौनी पिता सुखलाल कोल निवासी विशेषर दफाई एवं चोरी के फरार आरोपित रूपेश कुमार पिता अशोक केवट 32 वर्ष आमाडांड को गिरफ्तार कर न्यायालय कोतमा में पेश किया गया।-नप्र

औषधीय पौधों के लाभ से लोगों को कराएंगे अवगत, जल्द खुलेगा केंद्र

बैठक ● आयुष विभाग की बैठक में अधिकारियों ने औषधीय पौधों पर की चर्चा

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुरः आयुष विभाग की बैठक में औषधीय पौधों पर चर्चा हुई। विभिन्न रोगों में औषधि पौधों से उपचार में लाभ मिलता है लिहाजा कलेक्टर ने इस पौधे के बारे में नागरिकों को अधिक से अधिक जानकारी हो इसके लिए विभाग को प्रचार प्रसार करने तथा अमरकंटक के मां नर्मदा मंदिर के समीप केन्द्र बनाकर औषधीय पौधों के विक्रय की कार्ययोजना तैयार करें।

केंद्र बनाकर इसकी जानकारी लोगों को दिए जाएं ।औषधीय पौधों के संबंध में उसके उपयोग, फायदे आदि की विस्तृत जानकारी की एक बुकलेट तैयार की जाए तथा तैयार आईईसी मटेरियल का उपयोग आम जनों के लिए सुनिश्चित किया जाए।जिले में औषधीय पौधे होने के बावजूद भी इनके लाभ के संबंध में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। आयुष विभाग ऐसे पौधों के महत्व से ग्रामीणों को अवगत कराएं, जिससे इनका उपयोग रोगों के उपचार हेतु किया जा सके। इनका उपयोग अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है। आयुष विभाग को कहा गया कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों में आयुष औषधालय का अमला घर-घर दस्तक देकर गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों की जानकारी जुटाएं ताकि ऐसे मरीजों को उचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सके। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक में कार्यों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिले में आयुष औषधालय, आयुष आरोग्य मंदिर, स्टाफ, दवाईयों के संधारण/वितरण, जिला चिकित्सालय में आयुष विंग व अमरकंटक में 50 बिस्तरीय अस्पताल निर्माण कार्य की जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने कहा कि जिले में संचालित आयुष औषधालय के निर्धारित समय पर संचालन तथा चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े व बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए।

बैठक में आयुष विभाग द्वारा संचालित आयुष आपके द्वार योजना, औषधि पौधों का वितरण, मलेरिया से बचाव हेतु होम्योपैथी औषधि मलेरिया आफ 200 के संबंध में जानकारी दी गई। कलेक्टर ने मलेरिया प्रभावित ग्रामों में पुनः सर्वे करने के निर्देश दिए।

आयुष विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए कलेक्टर और उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारी। ● नईदुनिया

तर्पण

जो भी हासिल किया वह मां का आशीर्वाद

स्वर्गीय रुक्मिणी देवी

परिवार का मुखिया मेरी मां थी जिनकी सीख का अनुसरण करके मेरा पूरा जीवन गुजारा है आज परिवार व्यवस्थित है तो उन्हीं के आशीर्वाद से। मां मेरी आदर्श रही है जिनके पद चिन्हों पर चलकर मैंने अभाव से निकलकर संघर्ष से जीत हासिल की। मेरी हर सफलता में मां का अहम योगदान है। बचपन से युवावस्था तक उन्होंने मेरी बुराइयों और अच्छाइयों पर जिस तरह अपने दायित्व का निर्वहन किया उससे मैं कभी भ्रमित नहीं हुआ जब कभी भी निराश हुआ तो उनका स्मरण किया और हर परेशानियां से निकल कर आया। विषम परिस्थितियों में मां ने मेरा हमेशा हौसला बढ़ाया आज जो कुछ भी है मां के आशीर्वाद से है मैं उनका हमेशा ऋणी रहूंगा। मां के बताएं मार्ग पर पूरा परिवार चल रहा है और वह हमारी मार्गदर्शिका आज भी है।

-अशोक दावरा, पुत्र

श्रद्धा व आस्था के इस पावन पर्व पर आइये। अपने पूर्वजों का स्मरण करें। अगर आप भी उनकी स्मृतियों को संजोना चाहते हैं। तो लिख भेजें।
ganeshprashad.rajak@naidunia.com
अधिकतम 100 शब्दों में पूर्वजों के संस्मरण के साथ फोटो और अपना परिचय भी।

तीन चोर गिरफ्तार, एक बाइक की जब्त

नईदुनिया न्यूज कोतमाः चोरी की मोटरसाइकिल बेचने आ रहे तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। ग तीन व्यक्ति एक चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने के लिए अनूपपुर तरफ जा रहे हैं ।सूचना पर सिंह ढाबा तिराहा के पास कोतमा में घेराबंदी कर संदेहियों को एक बिना नंबर एचएफ डीलक्स काले रंग की मोटरसाइकिल को रेड कार्यवाही किया। बाइक में मस्तराम उर्फ राजकुमार पिता रामदयाल यादव 28 वर्ष निवासी कतकोना थाना बुढार, निखिल पिता प्रकाश पांडे 18 वर्ष निवासी कटकोना थाना बुढार जिला शहडोल एवं कृष्ण कुमार पिता स्वर्गीय अशोक कुमार मिश्रा निवासी पसान थाना भालूमाड़ा सवार थे।

स्वच्छता रैली में शामिल छात्र-छात्राएं। ● नईदुनिया

जागरूकता रैली निकालकर स्वच्छता का दिया संदेश

नईदुनिया अभियान
गंदगी को धिक्कारें
आओ अपना शहर बुहारें

नईदुनिया न्यूज, राजनगरः नगर परिषद डूमरकछार के द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नगर में लगातार अभियान चलाकर स्थानीय लोगों के बीच साफ- सफाई, स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता रैली आयोजित कराई जा रही है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है तथा पौधा लगाने के लिए नागरिकों को प्रेरित भी किया जा रहा है। अभियान के तहत एकीकृत शासकीय हाईस्कूल पौराधार के स्कूली बच्चों को स्वच्छता संबंधित जानकारी एक कार्यशाला के माध्यम से देकर जागरूक किया गया।

कार्यशाला के उपरांत परिषद की टीम व विद्यार्थियों द्वारा रिमझिम वर्षा में भी नगर का भ्रमण करते हुए स्कूली छात्राओं ने स्वच्छता अपनाओ, गंदगी भगाओ, नगर को सुंदर बनाना है स्वच्छता को अपनाना है जैसे नारों के साथ नगर भ्रमण किया। नगर परिषद के अध्यक्ष सुनील कुमार चौरसिया ने विद्यार्थियों को स्वच्छता पर जानकारी देते हुए कहा कि हमें व्यक्तिगत व आसपास भी सफाई अवश्य रखनी चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। नीले और हरे रंग के डस्टबिन के महत्व के बारे में बताया कि हरा रंग गीले कचरे के लिए और नीला डस्टबिन सूखे कचरे के लिए उपयोग होता है।

कच्चे मार्ग से रहवासी परेशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुरः नगर में लगातार बसाहट हो रही है। तरह-तरह के कर लोगों से लिए जा रहे हैं लेकिन जैसी मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वह रह वासियों को नहीं मिल पा रही है। नगर पालिका अनूपपुर के वार्ड क्रमांक 14 का एक मार्ग यहां के लोगों के लिए अत्यंत कष्ट दायी कई वर्षों से बना हुआ है। सीसी रोड बनाए जाने की मांग स्थानीय नागरिकों ने वार्ड पार्षद तथा नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ से कई बार की लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। ना तो सड़क के बनाई जा रही है और ना ही आवागमन के लिए ध्यान दिया जा रहा है। शंकर मंदिर के कुछ दूर से आगे खमरिया तालाब जाने वाले रास्ते कि यह दुर्दशा है। करीब 200 मीटर से अधिक की दूरी पूरी तरह से कीचड़ से सराबोर है। इस मार्ग में अनेक लोगों के घर हैं जो की आने-जाने के लिए सड़क की सुविधा न होने से बेहद परेशान है। खासकर स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोगों को सड़क की समस्या का सामना हर रोज करना पड़ रहा है। पिछले वर्ष भी यही स्थिति थी इस वर्ष भी सड़क के प्रति कोई ध्यान जिम्मेदारों ने नहीं दिया। इस सड़क से गुजरने में ही लोगों को काफी समय लग जाता है। द्विवेदी बाड़ा के आसपास यह सड़क चलने योग्य बिल्कुल नहीं रह गई है। इस पूरे वर्ष काल में वार्ड रहवासियों को मोहल्ले से मुख्य मार्ग तक जाने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क में गड्ढे हैं और कीचड़ के साथ पानी का जमाव बना हुआ है पैदल चलने वाले तो सड़क से त्रस्त हैं दोपहिया वाहन चालक भी इस सड़क से आने-जाने में काफी परेशान होते आ रहे हैं।

वार्ड 14 की दलदली सड़क से रहवासी परेशान। ● नईदुनिया

राज्य कर्मचारी संघ ने कलेक्ट्रेट में संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ● नईदुनिया

पुरानी पेंशन लागू करने राज्य कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन

- वेतन विसंगतियों का निराकरण जल्द से जल्द कराएं
- तीन वर्ष की सीपीसीटी परीक्षा में किया जाए संशोधन

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुरः एनपीएस धारी नवीन शैक्षिक संवर्ग के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा में वरिष्ठता मानकर और समस्त कर्मचारियों अधिकारियों को पूर्व प्रचलित पुरानी पेंशन बहाल करने, नेशनल पेंशन स्कीम को बंद करने, प्रस्तावित यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू न किए जाने जैसी अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम राज्य कर्मचारी संघ द्वारा कलेक्ट्रेट में संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन योजना लागू करने। अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति,पेंशनरों को महंगाई भत्ता तथा एरियर्स का भुगतान, स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ, चतुर्थ समय मान वेतनमान का लाभ, दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी, कर्मचारियों के नियमितीकरण स्टाये फंड की व्यवस्था को समाप्त कर पूर्ववर्ति नियम लागू करने, कृषि विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का निराकरण करने। पंचायत सचिव एवं स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने।

वाहन चालकों की नियमित भर्ती। भृत्य को कार्यालय सहायक एवं जल संसाधन विभाग के अधीन कर सिंचाई विस्तार अधिकारी करने। तीन वर्ष की सीपीसीटी परीक्षा में संसोधन, सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त करने तथा शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा एवं प्रक्षिक्षण की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने जैसे मांगों के संबंध में तत्काल निर्णय लेकर आदेश जारी किए जाने की मांगे शासन से की गई है।

अंडर 17 फुटबाल स्पर्धा में निखिल का चयन

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुरः जिला मुख्यालय के शासकीय माडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर के कक्षा दसवीं में अध्ययनरत छात्र निखिल आर्य ने 24 सितंबर को शुजालपुर में आयोजित राज्य स्तरीय शालेय अंडर 17 फुटबाल प्रतियोगिता में शहडोल संभाग की तरफ से प्रतिभाग करते हुए अपने बेहतर खेल प्रदर्शन से संभाग तथा जिले का गौरव बढ़ाया है।अब निखिल अगले माह जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अंडर 17 फुटबाल प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। निखिल के पिता राम भगत आर्य एक ट्रैक्टर एजेंसी में कार्यरत हैं। तीन वर्षों से निखिल का लगाव फुटबाल से बना हुआ है।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं घोषणा करती हू कि पूर्व मे मेरे पुराने पासपोर्ट मे मेरा नाम APRAJITA RB SINGH था जिसे मैंने बदल कर अब अपना नया नाम APARAJITA R B SINGH कर लिया है। कृपया मुझे अब से मेरे नये नाम APARAJITA R B SINGH D/O RAVINDRA PRATAP SINGH के नाम से जाना एवं पहचाना जाए एवं आगे के सभी दस्तावेजों मे दर्ज किया जाए तथा मेरे निवास का पता NEW TYPE 3, ROOM NO 4, IGNTU CAMPUS, AMARKANTAK, DIST : ANUPPUR, MP _ 484886 हैं।

सब्जी मंडी क्षेत्र की सफाई व्यवस्था हुई बदहाल

नईदुनिया प्रतिनिधि,अनूपपुरनगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है फल स्वरुप कई सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा करकट अपनी शोभा बना रहे हैं। ऐसे में स्वच्छता के दौड़ में नगर कैसे आगे आएगा। नगर के सब्जी मंडी परिसर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, यहां स्थित सुलभ कांप्लेक्स के ठीक सामने कचरा का अंबार लगा हुआ है। पालिथीन सहित दुकानों का कचरा डंपिंग स्थान यह बना हुआ है। इसी के ठीक सामने शराब दुकान स्थित है यहां शाम ढलते ही नशाखोरों का जमघट लग जाता है। नगर पालिका और पुलिस प्रशासन के उदासीनता से इस स्थान की स्वच्छता को पलीता लग रहा है। सब्जी मंडी क्षेत्र में रोजाना लोगों का आना-जाना बड़ी संख्या में रहता है। सुलभ कांप्लेक्स के ठीक सामने जिस तरह से सफाई का बजरंग माहौल बना हुआ है उसे यहां आने से लोग परहेज करते हैं। ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर सफाई व्यवस्था मुख्य रूप से रखी जानी चाहिए लेकिन नगर पालिका अपने दायित्व के प्रति लापरवाह बना हुआ है।

सुलभ कांप्लेक्स के ठीक सामने कचरा का अंबार। ● नईदुनिया

नवोदय की कक्षा छठवीं में प्रवेश के आवेदन सात तक

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनीः जवाहर नवोदय विद्यालय बड़वारा में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिये 18 जनवरी 2025 को जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का आयोजन किया गया है। इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र वेबसाइट से ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। प्राचार्य ने बताया कि आनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर से बढ़ाकर अब 7 अक्टूबर कर दी गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय बड़वारा के प्राचार्य आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिये कक्षा पांचवीं में अध्ययनरत् छात्र-छात्राएं नजदीकी साइबर कैफे से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India चल संपत्तियों का विक्रय नोटिसः ई-नीलामी दिनांक- 28/10/2024
क्षेत्रीय कार्यालय- बुढ़ार रोड, शहडोल, मध्य प्रदेश

दृष्टिबंधक अधिनियम के अधीन चल आस्तियों / वाहन के विक्रय हेतु ई- नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है" एवं "दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई- नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	संबंधित शाखा	ऋण खाता/ऋणी/प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	दृष्टिबंधक चल संपत्तियों का विवरण / कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / अग्रिम धरोहर जमा राशि / बिड वृद्धि राशि
1	सामतपुर मोब.नं.- 82260 12870	1. श्री दुर्गा कोल पिता राधिका कोल पताः वार्ड क्र. 08, धनगवां, अनूपपुर (म.प्र.)- 484224 ऋण खातों का विवरण- 1. खाता क्र.- 3606697014 2. खाता क्र.- 3808668243	रू. 11,04,965/- + ब्याज + विधिक व्यय	दृष्टिबंधक चल संपत्ति विवरण- EICHER 333 2wd Tractor 1. वाहन पंजीकरण क्र.- MP65AA1885 2. मॉडल क्र. एवं निर्माण का वर्ष- Eicher 333 2wd Tractor वर्ष- 2016 3. इंजन क्र.- E300585 4. चेसिस क्र.- 925114104198 भौतिक कब्जा	रू. 80,000/- / रू. 8,000/- / रू. 5,000/-
2	सामतपुर मोब.नं.- 82260 12870	1. श्री राम खिलावन पिता सुख सेन सिंह पताः वार्ड क्र. 01, ग्राम पोस्ट मलगा टंकी अनूपपुर (म.प्र.)- 484224 ऋण खातों का विवरण- 1. खाता क्र.- 3567474974 2. खाता क्र.- 3882403174	रू. 11,06,523/- + ब्याज + विधिक व्यय	दृष्टिबंधक चल संपत्ति विवरण- EICHER 333 2wd Tractor 1. वाहन पंजीकरण क्र.- MP65AA1621 2. मॉडल क्र. एवं निर्माण का वर्ष- Eicher 333 2wd Tractor वर्ष- 2016 3. इंजन क्र.- E34332 4. चेसिस क्र.- 924714187063 भौतिक कब्जा	रू. 2,00,000/- / रू. 20,000/- / रू. 5,000/-
3	सामतपुर मोब.नं.- 82260 12870	1. श्री जगत सिंह धुर्वे पिता श्री जय सिंह धुर्वे पताः ग्राम बाघनीभँवर पोस्ट बिलासपुर, तहसील पुष्पराजगढ़, अनूपपुर (म.प्र.)- 484881 ऋण खातों का विवरण- 1. खाता क्र.- 3872978666	रू. 11,10,538/- + ब्याज + विधिक व्यय	दृष्टिबंधक चल संपत्ति विवरण- ACE Tractor 550 Di Ng Tractor 1. वाहन पंजीकरण क्र.- MP65AA3999 2. मॉडल क्र. एवं निर्माण का वर्ष- ACE 550 Di Tractor वर्ष- 2020 3. इंजन क्र.- TRBK0010935 4. चेसिस क्र.- RBK550038255 भौतिक कब्जा	रू. 3,80,000/- / रू. 38,000/- / रू. 5,000/-
4	सामतपुर मोब.नं.- 82260 12870	1. श्री गजेन्द्र सिंह पिता छ्मू सिंह पताः ग्राम निदावन पोस्ट जमुडी अनूपपुर (म.प्र.)- 484224 ऋण खातों का विवरण- 1. खाता क्र.- 3550584452	रू. 8,77,775/- + ब्याज + विधिक व्यय	दृष्टिबंधक चल संपत्ति विवरण- EICHER 333 2wd Tractor 1. वाहन पंजीकरण क्र.- MP65AA1801 2. मॉडल क्र. एवं निर्माण का वर्ष- Eicher 333 2wd Tractor वर्ष- 2016 3. इंजन क्र.- E27558 4. चेसिस क्र.- 924414173709 भौतिक कब्जा	रू. 1,50,000/- / रू. 15,000/- / रू. 5,000/-
5	सामतपुर मोब.नं.- 82260 12870	1. श्री श्रीकांत मार्को पिता श्री एस.के. मार्को पताः वार्ड क्र. 13, अमरकंटक तिराहा, अनूपपुर (म.प्र.)- 484224 ऋण खातों का विवरण- 1. खाता क्र.- 3574544026 2. खाता क्र.- 3820809518	रू. 12,09,880/- + ब्याज + विधिक व्यय	दृष्टिबंधक चल संपत्ति विवरण- TATA Motors LTD BUS 1. वाहन पंजीकरण क्र.- MP65P0183 2. मॉडल क्र. एवं निर्माण का वर्ष- TATA LP 712 EX, वर्ष- 2016 3. इंजन क्र.- 497TC92FTY822353 4. चेसिस क्र.- MAT453564G7F10008 भौतिक कब्जा	रू. 4,00,000/- / रू. 40,000/- / रू. 10,000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गये प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता PSB Alliance के वेबपोर्टल http://ebkray.in पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 91-8291220220, क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (ई मेल- recvshahro@centralbank.co.in) या प्राधिकृत अधिकारी श्री रामा कान्त मिश्रा (मोब.: 91-9693096247) से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते हैं। शीर्षक दस्तावेजों/ दूसरे दस्तावेजों/ संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबन्धित शाखा- सामतपुर (मो. 91-82260 12870) से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता सम्पत्ति का निरीक्षण संबन्धित शाखा से संपर्क कर दिनांक 09/10/2024 से 11/10/2024 को कर सकते हैं। उपरोक्त सभी से संबन्धित ऋणियों / प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को दृष्टिबंधक अधिनियम के तहत अधीन (30) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है। वाहन पर किसी भी प्रकार के देय/ बकाया कर (टैक्स) एवं अन्य देयताओं को वाहन क्रेता को अलग से चुकाना होगा। वाहन पर लगने वाले किसी भी प्रकार के कर (टैक्स) या अन्य देयताओं को चुकाने के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं रहेगा।

दिनांकः 28/09/2024, स्थानः शहडोल (म.प्र.)

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

आयोजन शिविर में दिखा उत्साह, 92 लोगों ने किया रक्तदान

रक्तदान करने से हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुरः जैतहरी तहसील के एमबी पावर लिमिटेड के संयंत्र परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में कंपनी कर्मियों, उनके परिवार के सदस्यों, सुरक्षा प्रहरियों और आईटीआई जैतहरी के विद्यार्थियों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में कुल 92 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में उपस्थित आईटीआई जैतहरी के प्राचार्य मनोज सिंह रक्तदाता ने कहा, मुझे यह मानवीय कार्य करके बहुत खुशी हुई हैं, हमारी संस्था के विद्यार्थी और शिक्षकगण सदैव ही कंपनी द्वारा आयोजित ऐसे शिविरों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।शिविर में जिला चिकित्सालय अनूपपुर से वरिष्ठ चिकित्सक डा एस बी अवधिया, सिविल सर्जन, डा. एससी राय, नोडल अधिकारी जिला ब्लड बैंक एवं टीम ने इस शिविर में रक्तदाताओं की जांच कर सफलतापूर्वक रक्तदान कराया। इस रक्तदान शिविर में एक दूसरे रक्तदाता प्रमोद गौतम ने कहा रक्तदान महादान तो है ही, साथ ही यह मेरे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, मुझे हमेशा ऐसे शिविर का हिस्सा बनके प्रसन्नता होती हैं। शिविर में उपस्थित रक्तदाताओं के लिए सीएसआर विभाग द्वारा फल सामग्री एवम् जलपान की व्यवस्था कराई गई थी।कंपनी के मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग के प्रमुख आर के खटाना ने शिविर का जायजा लिया और रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाया।

रक्तदान उपरांत सभी रक्तदाताओं को कंपनी के प्लांट हेड एवं सीओओ आनंद देशपांडे और कंपनी के एच आर और प्रशाशन विभाग के प्रमुख आर के खटाना,सी एस आर विभाग के प्रमुख सत्यम सलील और टीम भी मौजूद रही।

रक्तदान शिविर में उपस्थित रक्तदाता तथा कंपनी व चिकित्सक। ● नईदुनिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

REGIONAL OFFICE - SHAHDOL

चल/ अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दि. 28/10/2024
विस्तृत नियम एवं शर्तें

ई-नीलामी तिथि एवं समय	ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय
28/10/2024 समय: सुबह12.00 बजे से साँय 6.00 बजे तक	28/10/2024 साँय 6.00 बजे तक

नियम एवं शर्तें

1. ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी।

2. नीलामी बोली/ बिड ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट **https://ebikray.in (PSB Alliance Pvt Ltd)** के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार – **दिनांक 28/10/2024 को (समय: सुबह 12.00 बजे से साँय 6.00 बजे तक) 05 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी।** निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका मे "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन मे वृद्धि कर सकता है।

3. विस्तृत विवरण को डाउनलोड़ करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल http:// www.centralbankofindia.co.in पर आएं अथवा ई-नीलामी के लिए हमारे सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता **https://ebikray.in (PSB Alliance Pvt Ltd)** है।

4. निविदाकर्ता **https://ebikray.in (PSB Alliance Pvt Ltd)** पर विजिट कर सकते हैं जहां निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश, शैक्षणिक वीडियो के साथ उपलब्ध हैं।
   निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:
   प्रथम चरण : निविदाकर्ता/खरीददार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफार्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।
   द्वितीय चरण : केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है। केवाईसी दस्तावेजों की जांच. ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी (जिसमें 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है)।
   तृतीय चरण : निविदाकर्ता की ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) धनराशि को ईमडी वालेट में अंतरित करना – ई-नीलामी प्लेटफार्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनइएफटी (NEFT)/(RTGS)/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।
   चतुर्थ चरण : बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वतीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।

कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक, नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।

5. ई-नीलामी प्लेटफार्म **https://ebikray.in (PSB Alliance Pvt Ltd)** पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता- **PSB Alliance Pvt Ltd** द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय Unit 1, Third Floor, VIOS Commercial Tower, Near Wadala Truck Terminal, Wadala East , Mumbai-400037 में है. इच्छुक निविदाकर्ताओं/खरीददारों को इ-नीलामी प्रक्रियाओं हेतु ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेबसाइट **https://ebikray.in (PSB Alliance Pvt Ltd)** पर सहभागिता की जरूरत है। ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए आन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तें बैंक की वेबसाइट http://www.centralbankofinda.co.in, **https://ebikray.in (PSB Alliance Pvt Ltd)** पर उपलब्ध हैं। ई-नीलामी के परिचालान के लिए सहायता मैनुअल इस ई-नीलामी का PSB Alliance Pvt Ltd के पोर्टल (**https://ebikray.in (PSB Alliance Pvt Ltd)** पर उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई नीलामी के

नियम एवं शर्तें, विक्रय नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का सहायता मैनुअल, मुफ्त में डाउनलोड़ कर सकते हैं। इच्छुक निविदाकर्ता, जिन्हें आन-लाइन आई डी और पासवर्ड सृजित करने, डाटा अद्यतन करने, बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट **https://ebikray.in (PSB Alliance Pvt Ltd)** पर या उनके केंद्रीय हेल्प डेस्क नं. **91-82912 20220** या E-mail id **psba@psballiance.com** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

6. इच्छुक निविदाकर्ता/खरीददार को नीलामी समय से पहले अपनी ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) अग्रिम रूप से ईएमडी वालेट में अंतरित करना है। अगर ईएमडी धनराशि, ईएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम निविदा की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जांच और ईएमडी का वालेट में अंतरण अग्रिम रूप से नीलामी से पूर्व (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व) पूरा होना चाहिए। निविदाकर्ता या तो एक या सभी सम्पत्तियों का प्रस्ताव दे सकते हैं। ई-नीलामी की तिथि पर वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने पर ही इच्छुक निविदाकर्ता पात्र होंगे। बोली लगाने के समय, निविदाकर्ता की वालेट में पर्याप्त ईएमडी होनी चाहिए(EMD)। अगर निविदाकर्ता एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना होगा।

7. ऊपर बताई गई अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान आन-लाइन अर्थात नेफ्ट (NEFT/RTGS) /अंतरण (चालान फार्म तैयार करने के पश्चात **https://ebikray.in (PSB Alliance Pvt Ltd)** निविदाकर्ता के ईएमडी वालेट में किया जाएगा। नेफ्ट अंतरण किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। ईएमडी का भुगतान अन्य किसी तरीके जैसे चेक/मांग ड्राफ्ट से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता जो अपनी ईएमडी वालेट में मांगी गई, ईएमडी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (इएमडी) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के ईएमडी वापस की जाएगी।

8. ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय **दिनांक 28/10/2024 साँय 6.00 बजे तक।**

9. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धत की गई बोली अस्वीकार की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका मे संबन्धित संपत्ति के सामने उद्धत "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन मे वृद्धि कर सकता है। अगर कोई निविदा अंतिम 05 मिनट में प्राप्त होती है, तो उसे 05 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। 05 मिनट का समय सफल ऊंची बोली लगाने के लिए दिया जाएगा, अगर निविदाकर्ताओं द्वारा कोई ऊंची बोली नहीं लगाई जाती है, तो 05 मिनट की समाप्ति पर सबसे ऊंची बोली पर ई-नीलामी बंद की जाएगी।

10. प्राधिकृत अधिकारी को अपनी सम्पूर्ण जानकारी और ज्ञान के आधार पर सम्पत्ति पर किसी भी भार की जानकारी नहीं है। तथापि, इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति पर भार, सम्पत्ति पर हकों, दावों /अधिकारों/ देयताएं जो सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, की जांच अपने स्वतंत्र सूत्रों से करनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन, बैंक का कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही निर्मित कराता प्रतीत होगा। सम्पत्ति की बिक्री उसके वर्तमान व भविष्य के सभी भार, जिनकी जानकारी बैंक को है या नहीं है, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह के तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

11. यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि बोली लगाने के पूर्व सम्पत्ति के निरीक्षण से संतुष्ट हों। नीलामी हेतु संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक निविदाकर्ताओं को मौके पर प्रत्येक संपत्ति के विवरण के साथ दी जाएगी।

12. आन-लाइन बोली के अंतर के लिए निविदाकर्ता अपनी बोली की राशि हेतु विक्रय नोटिस में उल्लिखित 'बिड वृद्धि राशि के गुणांक में सुधार कर सकता है। अगर बोली, ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम 05 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो ई- नीलामी के बन्द होने का समय स्वयं ही 05 मिनट बढ़ जाएगा. (प्रत्येक समय ई नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वत: ही बंद हो जाएगी। **निविदाकर्ता, जो सबसे ऊंची निविदा (आरक्षित मूल्य से नीचे न हो) प्रस्तुत करता है, तो ऐसे निविदाकर्ता, ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होते समय प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार वांछित सत्यापन के पश्चात सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाता है।**

13. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने के बाद, सफल निविदाकर्ता को विक्रय मूल्य का 25%, पूर्व में जमा ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि) को समायोजित करने के पश्चात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा। शेष विक्रय मूल्य का 75%, नीलामी तिथि के दिन से 15वें दिन तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के पूर्णरूप से

विवेकाधिकार के अंतर्गत लिखित रूप सहमति के आधार पर बढे हुए समय में नेफ्ट/आरटीजीएस से बैंक के निम्नलिखित खाते में जमा कराना होगा:

खाता संख्या	खाता का नाम	आईएफएससी कोड / शाखा नाम
5357325608	AUTHORISED OFFICER RO SHAHDOL	CBIN0280787 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा शहडोल, शहडोल (म.प्र.)

सफल निविदाकर्ता द्वारा यथोक्त निर्धारित समायावधि में विक्रय मूल्य जमा कराने मे असफल रहने पर, उनके द्वारा निविदा के सापेक्ष पहले से जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति/यों को पुन: नीलामी की जाएगी। इस तरह चूकने वाले निविदाकर्ता का सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

14. वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क,फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण प्रभार आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।
15. प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकर/स्थगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।

16. सभी विक्रय प्राप्तियों के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टाम्प ड्युटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय रशियां, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आने वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली/ निविदा में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोडने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

17. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को स्थगित/रोकने/विक्रय को रद्द करने और बिना किसी पूर्व नोटिस और विक्रय के नियम एवं शर्तों में सुधार करने का पूरा अधिकार है. अगर पूर्व की बोली असफल हो जाती है तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊंचे निविदा कर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।

18. सम्पत्ति की बिक्री 'जहां है जैसी है, जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है. निविदायें प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। दूसरे वैधानिक प्राधिकारियों और सम्पत्ति पर दावों/अधिकारों/भार/गृहणाधिकार,देयताएं आदि के लिए कोई भी प्राधिकारी जैसे विक्रय कर, उत्पाद शुल्क/ जीएसटी/ आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण,मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार,गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयतएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्णित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है,(अगर कोई हैं). आन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्युत बकाया, नगरपालिका/ स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है. सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।

20. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध **(PSB Alliance Pvt Ltd)** के वेब पोर्टल **https://ebikray.in (PSB Alliance Pvt Ltd)** और **www.centralbankofindia.co.in** पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृतशर्तों एवं दशाओं का अध्ययन करें।

21. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्यों कि न सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई- नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/ विधुत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा। इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/ वैकल्पिक उपाय जैसे पावर

सप्लाई, बैंक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।

22. बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है.

23. शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबन्धित शाखा –**सामतपुर (मोव:-91-98276 72358)** से बैंकिंग कार्य दिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध मे अन्य किसी जानकारी के लिए श्री रामा कान्त मिश्रा (मो. 91-96930 96247), एवं श्री संजय कैन (मो.91-9407586814) , क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल, ईमेल-recvshahro@centralbank.co.in से सभी कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

स्थान : शहडोल
दिनांक : 28/09/2024

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
For Central Bank of India
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Auth. Signatory
क्षेत्रीय कार्यालय (7005) शहडोल (म.प्र.)
Regional Office, Shahdol (M.P.)

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7005 क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल